क.

कीशम मेघचंद्र सिंह

वी.

माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली एंड ऑर्स।

(2020 की सिविल अपील संख्या 547)

21 जनवरी, 2020

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** अनिरुद्ध बोस और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

ग

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची-दलबदल के आधार पर विधानसभा चुनावों में नामित उम्मीदवार की अयोग्यता-11 वीं मणिपुर विधानसभा के लिए चुनाव मार्च, 2017 में आयोजित किया गया था-कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए 60 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत यानी 31 सीटें हासिल नहीं कर सका-कांग्रेस पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और भाजपा 21 सीटों के साथ-प्रतिवादी संख्या। 3 ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नामित और स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विधिवत चुने गए-12.03.2017 पर, प्रतिवादी संख्या। 3 ने विभिन्न भाजपा सदस्यों के साथ राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा किया-इसके बाद, प्रतिवादी नं। 3 ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली थी-अप्रैल और जुलाई, 2017 के बीच विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आवेदन दायर किए गए थे जिसमें प्रतिवादी नं. 3 दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत-अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई-आयोजितःराजेंद्र सिंह राणा और एस. ए. संपत कुमार के फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता को दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में निहित ढाल द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है, और जब कोई अध्यक्ष उचित समय के भीतर किसी याचिका पर निर्णय लेने से बचता है, तो स्पष्ट रूप से एक त्रुटि थी जिसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित किया-इसके अलावा, किहोतो होलोहन किसी भी तरह से, अध्यक्ष के आने में सहायता के लिए न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्यता के बारे में त्वरित निर्णय पर-अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है-जो उचित है वह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, लेकिन असाधारण परिस्थितियों के अभाव में जिसके लिए उचित कारण है, याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि बाहरी सीमा है जिसके भीतर अध्यक्ष के समक्ष दायर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लिया जाना चाहिए यदि दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने के संवैधानिक उद्देश्य का पालन किया जाना है-इन तत्काल अपीलों में जो राहत दी जा सकती है वह यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

ग

डी.

शब्द और वाक्यांश-"क्विया टाइमटाइम"-पर चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.** राजेंद्र सिंह राणा के निर्णय को पढ़ने और विशेष रूप से पैराग्राफ **40** और **41** के रेखांकित भागों से यह स्पष्ट है कि एस**.** ए**.** संपत कुमार में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न का स्पष्ट रूप से यह कहते हुए उत्तर दिया गया है कि अध्यक्ष में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफलता दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **6** में निहित ढाल के दायरे में नहीं आ सकती है**,** और जब कोई अध्यक्ष उचित समय के भीतर किसी याचिका पर निर्णय लेने से बचता है**,** तो स्पष्ट रूप से एक त्रुटि थी जिसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित किया।**[**पैरा **22] [154** ई**-**एफ**]**

ई.

च

राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य **(2007)**

4 एससीसी 270:2007 (2) एससीआर 591; एस. ए. संपत कुमार बनाम काले यादैया और अन्य। एसएलपी (सी) सं. 33677/2015-पर निर्भर

जी.

2. वास्तव में**,** किहोतो होलोहन के उचित अध्ययन पर भी यही परिणाम सामने आएगा।उक्त निर्णय के अनुच्छेद **110** और **111**

एच.

134 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

जब एक साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **6** में अंतिम खंड जिस विशेष अधिकार क्षेत्र की रक्षा करता है**,** वह अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष में निहित है ताकि ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने के रास्ते में कुछ भी न आए।जो अपवाद किया जाता है वह इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि अध्यक्ष के निर्णयों में अंतर्वर्ती हस्तक्षेप केवल अंतर्वर्ती अयोग्यता या निलंबन हो सकता है**,** जिसके गंभीर**,** तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में**,** न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने से पहले या तो समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से या अन्य अंतर्वर्ती आदेशों द्वारा न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है।**[**पैरा **23] [154** जी**-**एच**, 155** ए**-**बी**]**

किहोटो होलोहन बनाम ज़चिल्लु और ओआरएस। **(1992)** सप।**(2)**

एससीसी **651; [1992] 1** एससीआर **686-**पर निर्भर था

डी.

फ्लेचर बनाम बेली (1884) 28 Ch. डी. 688; लंदन

इस्लिंगटन का बरो बनाम मार्गरेट इलियट **[2012]** ईडब्ल्यूसीए

सिविल. 56 (पैराग्राफ 30 देखें) और वेस्टिंट लीड्स बीवी बनाम अज्ञात व्यक्ति [2018] ईडब्ल्यूएचसी 2456 (सीएच.)-संदर्भित।

ई.

3. विभिन्न निर्णयों के अवलोकन पर**,** यह दर्शाता है कि किहोतो होलोहन के अनुच्छेद **110** में न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होने का मतलब अध्यक्ष को आसन्न संभावित खतरे के आधार पर निर्णय लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के अर्थ में समयबद्ध कार्रवाई है**,** जो इस अर्थ में अपूरणीय होगा कि यदि अध्यक्ष यह निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है कि व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाए**,** तो उसे लंबे समय तक सदन की अपनी सदस्यता को जब्त करने का जुर्माना देना होगा।किहोतो होल्लोहन के अनुच्छेद **110** और **111,** इसलिए**,** किसी भी तरह से**,** दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्यता के बारे में त्वरित निर्णय पर पहुंचने वाले अध्यक्ष की सहायता के लिए न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।वास्तव में**,** अध्यक्ष**,** दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए**,** एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।क्या उचित होगा ए

च

जी.

एच.

135

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली ए

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है**,** लेकिन असाधारण परिस्थितियों के अभाव में जिनके लिए उचित कारण है**,** याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि वह बाहरी सीमा है जिसके भीतर अध्यक्ष के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लिया जाना चाहिए यदि दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने के संवैधानिक उद्देश्य का पालन किया जाना है।यह अवधि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तय की गई है कि आम तौर पर राज्यों की लोकसभा और विधानसभा का जीवनकाल **5** वर्ष है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन व्यक्तियों ने इस तरह की अयोग्यता का सामना किया है**,** वे एक दिन के लिए भी सांसद/विधायक होने के योग्य नहीं हैं**,** जैसा कि राजेंद्र सिंह राणा में पाया गया है**,** यदि उन्होंने दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।**[**पैरा **28] [157** ए-एफ**]**

ग

4. यह समय है कि संसद इस बात पर पुनर्विचार करे कि क्या अयोग्यता याचिकाओं को एक अर्ध**-**न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए**,** जब ऐसा अध्यक्ष किसी विशेष राजनीतिक दल से या तो न्यायिक या वास्तविक रूप से संबंधित रहता है।संसद**,** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्थायी न्यायाधिकरण के साथ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से संबंधित विवादों के मध्यस्थ के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर सकती है**,** या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे विवादों का निर्णय तेजी से और निष्पक्ष रूप से किया जाता है**,** इस प्रकार

दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों को वास्तविक अधिकार देते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के उचित कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं।[पैरा **30] [159** ए-सी**]**

डी.

ई.

च

5. अपीलार्थी के इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि यह न्यायालय भाजपा सरकार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में प्रतिवादी संख्या **3** की नियुक्ति को रद्द करने के लिए यथास्थिति वारंट जारी करता है।प्रत्यर्थी का यह कहना सही है कि दसवीं अनुसूची के तहत विधायक और परिणामस्वरूप मंत्री होने की अयोग्यता का निर्णय पहले इस संबंध में विशेष प्राधिकारी, अर्थात् मणिपुर के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

विधान सभा।अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि अध्यक्ष की निष्क्रियता को देखते हुए इन अपीलों में अयोग्यता याचिका पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए।यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान मामले के तथ्य राजिंदर सिंह राणा के तथ्यों के समान हैं।वर्तमान मामले में, विधान सभा का जीवन केवल मार्च, **2022** में समाप्त होता है, जबकि राजिंदर सिंह राणा में, लेकिन इस न्यायालय द्वारा अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए, याचिकाकर्ता को उस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि विधान सभा का जीवन समाप्त होने वाला था।इन अपीलों में जो एकमात्र राहत दी जा सकती है, वह यह है कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह अपने समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उस तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें, जिस दिन उन्हें यह निर्णय सूचित किया गया है।यदि चार सप्ताह की अवधि के बाद भी कोई निर्णय नहीं आता है, तो कार्यवाही के किसी भी पक्ष के लिए इस मामले में आगे के निर्देशों/राहत के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति होगी।[पैरा **31] [159** सी-एच**]** मामला विधि संदर्भ

ग

डी.

[2007] 2 एससीआर **591**

पर भरोसा किया

पैरा **22**

ई.

[1992] 1 एससीआर **686**

पर भरोसा किया

पैरा **23**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 547

2020.

इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.07.2019 के निर्णय और आदेश से (ग) 2018 की सं. 70।

च

सह

2020 की सिविल अपील संख्या 548,549,550।

जी.

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., कपिल सिब्बल, एस. जी. हसनैन, एच. एस. पाओनम, वरिष्ठ अधिवक्ता।, यासिर रउफ, सैयद मोहम्मद।फजल, विजय कुमार, सैयद जावेद हाशमी, सुश्री विथिका गर्ग, सुश्री विदुशी गर्ग, एम. जेड. चौधरी, सैयद इम्तियाज अली, अली सफीर फारूकी, अरविंद कुमार कण्वा, आफताब अली ए।

एच.

137

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली ए

खान, डेविड ए., सुश्री वैशाली वर्मा, सुश्री राजकुमारी बंजू, एल. के. पाओनम, एस. गुणबंता मेइतेई, नीरज बॉबी पाओनम, सुश्री तोमथिनगनबी कोइजाम, एस. के. भट्टाचार्य, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. वर्तमान मामले में अपील भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची (जिसे इसके बाद "दसवीं अनुसूची" के रूप में संदर्भित किया गया है) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।11 वीं मणिपुर विधानसभा के लिए चुनाव मार्च, 2017 में आयोजित किया गया था।उक्त विधानसभा चुनाव ने एक अनिर्णायक परिणाम दिया क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए 60 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत यानी 31 सीटें हासिल करने में सक्षम नहीं था।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इसके बाद "कांग्रेस पार्टी" के रूप में संदर्भित) 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, भारतीय जनता पार्टी (इसके बाद "भाजपा" के रूप में संदर्भित) 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न दीवानी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नामित और स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विधिवत रूप से चुना गया। 12.03.2017 पर, परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने विभिन्न भाजपा सदस्यों के साथ मणिपुर राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा किया जा सके।15.03.2017 पर, राज्यपाल ने राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले समूह को आमंत्रित किया।उसी दिन, नामित मुख्यमंत्री ने प्रत्यर्थी संख्या 3 सहित आठ निर्वाचित विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को एक पत्र भेजा।उसी दिन, प्रतिवादी संख्या 3 ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली और आज तक जारी है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

3. अप्रैल और जुलाई, 2017 के बीच मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 की अयोग्यता के लिए तेरह आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 3 को दसवें के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्य ठहराया गया था।

एच.

138

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

अनुसूची.2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी द्वारा दायर की गई वर्तमान याचिका का दिनांक 31.07.2017 था।

4. चूंकि अध्यक्ष द्वारा इनमें से किसी भी याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए एक टी. एन. हाओकिप ने इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका (सी) No.353 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय अध्यक्ष को उनकी अयोग्यता याचिका पर उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे।आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि कोई उच्च न्यायालय अध्यक्ष को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है, यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए उच्च न्यायालय इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, और मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था ताकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के परिणाम की प्रतीक्षा की जा सके।

ग

डी.

5. जनवरी, 2018 तक प्रतीक्षा करने के बाद, 2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न दीवानी अपील में, अपीलार्थी ने उसी उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका (सी) No.17 दायर कर निम्नलिखित राहत मांगीः

“आई. नियम निसी जारी करें;

ई.

ii.इस बारे में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए माननीय न्यायालय उचित और उचित समझ सकता है;

iii.यह घोषणा करना कि प्रतिवादी संख्या 3 ने राजेंद्र सिंह राणा और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (ए) के तहत मणिपुर विधानसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्यता प्राप्त की है।

च

जी.

iv.यदि माननीय उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए प्रसन्न है कि उपरोक्त पैरा सं. (ii) और (iii) में की गई प्रार्थना एक अनुकूल आदेश के लिए योग्यता के योग्य है, तो प्रतिवेदिका सं. 3 को मंत्री के पद/कार्यालय से बाहर करने के लिए प्रतिवेदिका की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी।"

एच.

139

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

क.

6. रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया और सुना गया और दिनांक 23.07.2019 के विवादित फैसले द्वारा निपटाया गया।उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष जो प्रश्न रखे थे, जिन पर उसके हाथों विचार करने की आवश्यकता थी, वे इस प्रकार बताए गए थेः

“(क) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में दिए गए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल कहा जा सकता है?

(ख) यदि उपरोक्त मुद्दे (क) का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है, तो क्या प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रथम दृष्टया अयोग्यता का सामना करना पड़ा है?(ग) यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रथम दृष्टया अयोग्य पाया जाता है, तो क्या यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 3 को मणिपुर विधान सभा का सदस्य होने से अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी कर सकता है या वैकल्पिक रूप से, क्या इस न्यायालय के पास प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा मंत्री पद के धारण को अवैध घोषित करने के लिए यथास्थिति वारंट जारी करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि यह कानून के किसी भी अधिकार के बिना है?"

ग

डी.

7. अध्यक्ष द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति के जवाब में कि वर्तमान जैसे मामलों में न्यायिक समीक्षा को बंद कर दिया जाता है, उच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जिसे उचित समय के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, ऐसा उचित समय स्पष्ट रूप से एक ऐसा समय है जो सदन का जीवनकाल पांच साल से बहुत कम होने के कारण पांच साल से भी कम है।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दसवीं अनुसूची में प्रदत्त उपाय सारतः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले समाप्त किया जाने वाला एक वैकल्पिक उपाय है, और यह मामला होने के कारण, यदि ऐसा वैकल्पिक उपाय अध्यक्ष की ओर से जानबूझकर निष्क्रियता या अनिर्णय के कारण अप्रभावी पाया जाता है, तो न्यायालय को अध्यक्ष को एक उपयुक्त रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है।नतीजतन, प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया और अदालत ने गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर सुनवाई की।उपरोक्त तथ्यों पर, रवि एस. नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य 1994 सप्लीमेंट।(2) एस. सी. सी. 641, न्यायालय ने पाया कि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग हो सकता है

ई.

च

जी.

एच.

आचरण द्वारा व्यक्त या निहित, और यह कि प्रत्यर्थी संख्या 3 का कांग्रेस पार्टी का सदस्य होकर चुनाव लड़ने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने का स्पष्ट आचरण यह स्पष्ट कर देगा कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) में निहित अयोग्यता स्पष्ट रूप से आकर्षित है।उच्च न्यायालय ने तब यथास्थिति वारंट की रिट पर कई निर्णयों का हवाला दिया, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकला कि चूंकि वही मुद्दा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लंबित था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए कुछ समय के लिए कोई आदेश पारित करना उचित नहीं होगा, जिसमें अध्यक्ष की ओर से निष्क्रियता या अनिर्णय से संबंधित आदेश शामिल होंगे, साथ ही साथ यथास्थिति वारंट की रिट जारी करना भी शामिल होगा।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अंततः रिट याचिका में कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी हमारे सामने है।

ग

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न दीवानी अपील में तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अध्यक्ष ने जानबूझकर उनके समक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया है।यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2017 में दायर याचिकाओं पर आज तक कोई निर्णय नहीं आया है।इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि वर्तमान अयोग्यता याचिका में नोटिस अध्यक्ष द्वारा केवल 12.09.2018 पर जारी किया गया था, याचिका दायर किए जाने के लंबे समय बाद, और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही कहा गया है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अध्यक्ष इन याचिकाओं पर तब तक फैसला करेंगे जब तक कि विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता।इन परिस्थितियों में, उन्होंने हमें प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद हड़प लिया है, और यह घोषणा करने के लिए कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।इस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया है।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि यह कहना सही है कि क्या एक अध्यक्ष द्वारा निष्क्रियता के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जा सकती है, इस न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है, फिर भी, यह किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु और अन्य के पैराग्राफ 110 के पठन से स्पष्ट है। (1992) सप।(2) एस. सी. सी. 651, कि उस निर्णय द्वारा जो कुछ भी बाधित किया गया था, वह अंतर्वर्ती रोक का अनुदान था जो एक अध्यक्ष को निर्णय लेने से रोकेगा, न कि दूसरे तरीके से ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

141

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

चारों ओर।इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने हमें एक समयबद्ध कार्रवाई के अर्थ पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी पढ़ी, और तर्क दिया कि समग्र रूप से पढ़ा गया निर्णय यह स्पष्ट कर देगा कि यदि दलबदल को रोकने का संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करना है, तो इस तरह के लक्ष्य की सहायता में न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से बाधित नहीं कहा जा सकता है।उन्होंने इस पर भी दृढ़ता से भरोसा किया कि

राजेन्द्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

मौर्य **(2007) 4** एस**.** सी**.** सी**. 270** और हमें विवादित फैसले में निहित तर्क को बनाए रखने और फिर प्रतिवादी संख्या **3** के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने का आह्वान किया।

9. श्रीमती माधवी दीवान, विद्वान एडिशनल।मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है कि 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका में मांगी गई राहत, 2017 की रिट याचिका (सी) No.353 में मांगी गई राहत के बिल्कुल विपरीत है, जिसके परिणामस्वरूप, दो रिट याचिकाओं में पारस्परिक रूप से विनाशकारी याचिकाएं और प्रार्थनाएं की गई हैं, वर्तमान मामले में कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में मांगी गई प्रार्थनाओं को किहोतो होलोहन (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा सीधे तौर पर बाधित किया जाता है क्योंकि उत्तरदाता संख्या 3 अयोग्य है या नहीं, यह पहले तय किए बिना यथास्थिति वारंट की एक रिट संभवतः प्रदान नहीं की जा सकती है, जो अध्यक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से गलत था कि दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का निर्णय एक

वैकल्पिक उपचार की प्रकृति में होगा और अभिनिर्धारित किया कि यह इस न्यायालय के कई निर्णयों, विशेष रूप से नबाम रेबिया के सीधे विपरीत होगा।

ग

डी.

ई.

च

और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष**,** अरुणाचल प्रदेश

विधान सभा (2016) 8 एस. सी. सी. 1, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के पास अयोग्यता के उन प्रश्नों पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है जो उन्हें भेजे जाते हैं।किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान मामले का फैसला नहीं कर सकती है और उसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का इंतजार करना होगा जो इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक विशिष्ट संदर्भ पर किया गया है।उन्होंने श्री सिब्बल के मामले यानी राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) के फैसले को भी अलग किया।

जी.

एच.

142

यह कहते हुए कि वहाँ के तथ्य पूरी तरह से अलग थे और अंततः न्यायिक समीक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि उस मामले में अध्यक्ष का अंतिम निर्णय था।इसके अलावा, इस तथ्य के कारण कि विधानसभा का जीवन समाप्त होने वाला था, इस न्यायालय ने एक असाधारण स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अयोग्यता के लिए याचिका का फैसला किया।वर्तमान मामले में ये दोनों विशेषताएं अनुपस्थित हैं।इस प्रकार, उनके अनुसार, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले में अंतिम निष्कर्ष सही है, अपीलार्थी के पक्ष में सभी निष्कर्ष इस न्यायालय के फैसलों के सामने आते हैं।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि पहले एस. ए. में इस न्यायालय के दिनांकित संदर्भ आदेश 08.11.2016 को निर्धारित किया जाए।

ग

संपत कुमार बनाम काले यादैया और अन्य। एसएलपी (सी) सं. 33677/2015।

अध्यक्ष**,** हरियाणा को संदर्भित करने के बाद इस न्यायालय की एक खंड पीठ

विधान सभा बनाम कुलदिप बिश्नोई और अन्य। (2015) 12 एस. सी. सी. 381, और अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा बनाम उत्कल केशरी परिदा

डी.

(2013) 11 एस. सी. सी. 794, तब आयोजित किया गयाः“हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी और विद्वान वकील दोनों की उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है।हम महसूस करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर संविधान की व्याख्या के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है।यह सच है कि किहोतो होलोहन के मामले में इस अदालत ने कहा कि एक निश्चित सीमा तक कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी और कुछ उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत

भूषण ने हमें बताया है कि पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में एक निश्चित सीमा तक कार्रवाई भविष्य में होने वाली प्रत्याशित चोट से संरक्षित होने का अधिकार है जिसे वर्तमान कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता है।फिर भी, हमारा विचार है कि इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधानसभा के अध्यक्ष को (दसवीं अनुसूची के तहत अर्ध न्यायिक क्षमता में कार्य करते हुए) एक निश्चित समय के भीतर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है, और क्या ऐसा निर्देश ए.

ई.

च

जी.

एच.

143

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

किहोतो होलोहन के मामले के पैराग्राफ 110 में उल्लिखित क्वैटिमेट एक्शन सिद्धांत।हम इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख सकते हैं कि जिस तरह अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा द्वारा सही किया जा सकता है, उसी तरह प्रथम दृष्टया अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय को न्यायिक समीक्षा द्वारा सही किया जाना चाहिए ताकि दसवीं अनुसूची के प्रशंसनीय उद्देश्य और उद्देश्य को विफल न किया जा सके, जिसका उल्लेख किहोतो होलोहन के मामले में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों निर्णयों में किया गया है।वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अयोग्यता याचिकाओं को 23 अगस्त, 2014 को तेलंगाना राज्य विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को भेजा गया था और विवादित फैसले द्वारा व्यक्त की गई आशाओं और आकांक्षाओं के बावजूद, अध्यक्ष ने आज तक उक्त याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं देने का फैसला किया है।इसलिए हम इस प्रश्न पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखते हैं।"

ग

डी.

11. हम श्रीमती माधवी दीवान की याचिका को स्वीकार कर लेते कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ के इस आदेश को देखते हुए, इस मामले की सुनवाई को वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों पर इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए।हालाँकि, हम पाते हैं कि इस मुद्दे को राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा संबोधित किया गया था और इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।दुर्भाग्य से, उपरोक्त निर्णय में निहित निर्णय को डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया, जिसने मामले को इस अदालत के पांच माननीय न्यायाधीशों को भेज दिया, हालांकि राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) को कुलदिप बिश्नोई (ऊपर) में अलग करने की मांग की गई थी, जिसे इस अदालत की डिवीजन बेंच के ध्यान में लाया गया था।

ई.

च

12. थोड़ा पीछे हटते हुए, पहले यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि किहोतो होलोहन (ऊपर) में बहुमत के फैसले में क्या निर्णय लिया गया था।इस न्यायालय के 3 विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 24 में कई ऐसे प्रश्न निर्धारित किए हैं जिनके लिए उस मामले में निर्णय की आवश्यकता थी।हम सीधे प्रश्नों (ई) और (एफ) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं और जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

जी.

“24. सुनवाई में उठाए गए और आग्रह किए गए तर्कों पर विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न हैंः

XXX XXX XXX

(ई) कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (2) में माना जाने वाला प्रावधान अनुच्छेद 122 और 212 के तहत प्रतिरक्षा को आकर्षित करता है।दसवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अध्यक्ष और अध्यक्ष किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे।

दसवीं अनुसूची संविधान द्वारा परिकल्पित अनन्य तरीके से हल किए जाने वाले अधिकारों, दायित्वों और उपचारों के एक नए और गैर-न्यायसंगत क्षेत्र का निर्माण करना चाहती है और करती है और यह प्रारंभिक निर्णयात्मक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से इससे मुक्त है।

ग

(च) कि भले ही न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 7 को निष्क्रिय माना जाता है, न्यायालयों की अधिकारिता, किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 6 (1) के रूप में वर्जित है, जो अध्यक्ष या अध्यक्ष के निर्णय को संवैधानिक 'अंतिमता' प्रदान करता है, और यह कि 'अंतिमता' की ऐसी अवधारणा न्यायालयों द्वारा मामले की जांच को वर्जित करती है।"

डी.

13. बहुमत के फैसले में देखा गया कि भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल करने से पहले, दलबदल विरोधी कानून बनाने के लिए दलबदल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दो असफल प्रयास किए गए थे।पहला संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 था, जो सदन के भंग होने के कारण समाप्त हो गया और दूसरा संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1979 था, जो भी समाप्त हो गया।न्यायालय ने पैराग्राफ 9 और 13 में संविधान (52 वां संशोधन) अधिनियम, 1985 के उद्देश्य का उल्लेख इस प्रकार किया हैः“9. यह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में अंतर्निहित उद्देश्य को सामने लाता है। इसका उद्देश्य पद के लालच या इसी तरह के अन्य विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालते हैं।प्रस्तावित उपाय संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य को अयोग्य घोषित करना है जो ए से दलबदल करते पाए गए हैं।

ई.

च

जी.

एच.

145

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

सदन के सदस्य के रूप में बने रहें।अयोग्यता के आधार दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किए गए हैं।XXX XXX XXX

13. दसवीं अनुसूची के ये प्रावधान राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता देते हैं।एक राजनीतिक दल एक विशेष कार्यक्रम के साथ मतदाताओं के सामने जाता है और इस तरह के कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का गठन करता है।एक व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है, उसे उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर चुना जाता है।पैराग्राफ 2 (1) (ए) के प्रावधान इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक औचित्य और नैतिकता की मांग है कि यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव के बाद अपनी संबद्धता बदल देता है और उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिसने उसे चुनाव में उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, तो उसे विधायिका की अपनी सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और मतदाताओं के सामने वापस जाना चाहिए।वही पैमाना उस व्यक्ति पर लागू होता है जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है और चुनाव के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है।"

ग

डी.

14. न्यायालय ने वाद (ई) और (एफ) को एक साथ निम्नानुसार निपटायाः

ई.

“95. वर्तमान मामले में, पैराग्राफ 6 (1) के तहत विवादित अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति प्रमुख रूप से न्यायिक रंग की है।

96. पैराग्राफ 6 (2) की कल्पना वास्तव में इसे अनुच्छेद 122 या 212 के पहले खंड में रखती है, जैसा भी मामला हो। पैराग्राफ 6 (2) में "संसद में कार्यवाही" या "राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही" शब्दों की अभिव्यक्ति क्रमशः अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) में होती है।यह केवल प्रक्रियाओं की अनियमितताओं से प्रतिरक्षा को आकर्षित करता है।

च

जी.

97. इसके अलावा, 1986 के बाद भी जब दसवीं अनुसूची पेश की गई थी, संविधान ने अनुच्छेद 191 (1) और 102 (1) के तहत सदस्यों की अयोग्यता के बारे में विवादों के समाधान के संचालन में अनुच्छेद 122 या 212 को लागू करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था।

एच.

बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान का तात्पर्य है कि अयोग्यता की कार्यवाही, वास्तव में, सदन के समक्ष नहीं है; लेकिन केवल एक विशेष रूप से नामित प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष के समक्ष है।पैराग्राफ 6 (1) के तहत निर्णय सदन का निर्णय नहीं है, न ही यह सदन द्वारा अनुमोदन के अधीन है।निर्णय सदन से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।एक डीमिंग प्रावधान अपनी रचना से अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकता है।इसलिए, अनुच्छेद 122 और 212 के तहत दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष या अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक जांच से कोई प्रतिरक्षा नहीं है।

ग

XXX XXX XXX

100. न्यायाधिकरण के गठन के इन सर्वविदित और स्वीकृत परीक्षणों द्वारा, अध्यक्ष या अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (1) के तहत कार्य करते हुए एक न्यायाधिकरण है।

डी.

XXX XXX XXX

109. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों और अनुच्छेद 6 के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आलोक में, अनुच्छेद 6 के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों तक ही सीमित रहेगा।, संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करने और विकृति पर आधारित दुर्बलताएँ।

ई.

च

110. पैराग्राफ 6 में अंतिमता खंड के कारण उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को देखते हुए और संवैधानिक इरादे और न्यायनिर्णायक शक्ति यानी अध्यक्ष/अध्यक्ष के भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने से पहले एक स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सकती है और एक समयबद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी।न ही कार्यवाही के अंतर्वर्ती चरण में हस्तक्षेप की अनुमति होगी।हालांकि, उन मामलों के संबंध में अपवाद करना होगा जहां अयोग्यता या ए

जी.

एच.

147

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निलंबन लगाया जाता है और इस तरह की अयोग्यता या निलंबन के गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम और परिणाम होने की संभावना है।111. नतीजतन, हम विवाद (ई) और (एफ) पर पकड़ रखते हैंः

यह कि दसवीं अनुसूची, अयोग्यता और विवादित अयोग्यताओं के निर्णय के लिए एक अतिरिक्त अनुदान (एस. आई. सी. आधार) का प्रावधान करने में, एक गैर-न्यायसंगत संवैधानिक क्षेत्र बनाने का प्रयास नहीं करती है।अध्यक्ष या सभापति में निहित ऐसे विवादों को हल करने की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है।

ग

दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 6 (1), जिस हद तक यह वक्ताओं/अध्यक्षों के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहता है, वैध है। लेकिन अनुच्छेद 6 (1) में सन्निहित वैधानिक अंतिमता की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा को बाधित या निरस्त नहीं करती है, जहां तक संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करने और विकृति का संबंध है।यह कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (2) में माना जाने वाला प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) के समान प्रतिरक्षा को आकर्षित करता है जैसा कि केशव सिंह मामले [(1965) 1 एससीआर 413 में समझा और समझाया गया हैःए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745] कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की केवल अनियमितताओं से बचाने के लिए।'संसद में कार्यवाही मानी जाए' या 'राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही' शब्दों को ध्यान में रखते हुए डीमिंग प्रावधान, तदनुसार कल्पना के दायरे को सीमित करता है।

डी.

ई.

च

अध्यक्ष/अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्यों का निर्वहन करते हुए दसवीं अनुसूची के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्णय लेने वाले न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और उस क्षमता में उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।

जी.

हालांकि, दसवीं अनुसूची में संवैधानिक अनुसूची को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा में अध्यक्षों/अध्यक्षों द्वारा निर्णय लेने से पहले कोई भी चरण शामिल नहीं होना चाहिए।ध्यान रखें।

एच.

148

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

संवैधानिक इरादे और न्यायनिर्णायक शक्ति के भंडार की स्थिति के लिए, किसी भी समयबद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं है, किसी भी अंतर्वर्ती हस्तक्षेप के लिए एकमात्र अपवाद अंतर्वर्ती अयोग्यता या निलंबन के मामले हैं जिनके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम और परिणाम हो सकते हैं।"

15. राजेन्द्र सिंह राणा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 06.09.2003 पर दिए गए एक आदेश पर विचार किया।उस मामले के तथ्यों के आधार पर, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 14 वीं विधानसभा का चुनाव फरवरी, 2002 में हुआ था और चूंकि किसी भी राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत नहीं मिला था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी (जिसे इसके बाद "बी. एस. पी". कहा जाता है) की नेता सुश्री मायवती के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार का गठन किया गया था।आई. डी. 2 पर मंत्रिमंडल ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जिसके बाद आई. डी. 1 पर बी. एस. पी. के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए 13 सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया।आई. डी. 1 पर राज्यपाल ने समाजवादी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।बी. एस. पी. के नेता श्री एस. पी. मौर्य ने दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर अनुरोध किया कि जिन 13 बी. एस. पी. विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने की घोषणा की थी, उन्हें दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) में उल्लिखित अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। इस बीच, बी. एस. पी. के टिकट पर चुने गए 40 विधायकों की ओर से 37 विधायकों के एक समूह ने अध्यक्ष से बी. एस. पी. में विभाजन को इस आधार पर मान्यता देने का अनुरोध किया कि 109 विधायकों वाली बी. एस. पी. के एक तिहाई सदस्य बी. एस. पी. से अलग हो गए थे। इसलिए, आई. डी. 1 पर, अध्यक्ष ने तीन काम किए-पहला, उन्होंने स्वीकार किया कि 109 में से 37 में बी. एस. पी. के एक तिहाई सदस्य शामिल हैं, जो विभाजन के बराबर है, इस समूह को लोकतांत्रिक बहुजन दल के रूप में जाना जाता है। इस दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था, जिसे उसी दिनांक 1 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।तीसरा, अध्यक्ष ने आवेदन ए पर निर्णय नहीं लिया

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

149

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

अध्यक्ष के सामने पेश होने वाले 37 विधायकों में से 13 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए अयोग्यता याचिका को स्थगित कर दिया।इस बीच, चूंकि इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, इसलिए अध्यक्ष ने 14.11.2003 पर एक और आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अयोग्यता के लिए याचिका को स्थगित करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर निर्णय लेने तक जारी रहेगा।हालाँकि, 07.09.2005 पर, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा रिट याचिका का निपटारा किए जाने से पहले ही, अध्यक्ष ने बी. एस. पी. के 13 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया।

ग

16. इन तथ्यों पर, अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 17 में उल्लेख किया कि 06.09.2003 का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में चुनौती का विषय है।फैसले के पैराग्राफ 30 में, इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष के दिनांकित 07.09.2005 के आदेश पर खड़े होने के लिए कोई स्वतंत्र पैर नहीं होंगे, जिसमें कहा गया हैः

डी.

“30. .....यह अंतिम आदेश स्पष्ट रूप से अध्यक्ष के पहले के दिनांक 1 के आदेश के साथ असंगत है और अभी भी इस सवाल को खुला छोड़ता है कि क्या अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका पर पहले या कम से कम विभाजन की मान्यता का दावा करने वाले आवेदन के साथ एक साथ निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था।यदि विभाजन को मान्यता देने वाला क्रम चला जाता है, तो जाहिर है कि यह अंतिम क्रम भी जीवित नहीं रह सकता है।इसके पास जाने के लिए बल है।” [जोर दिया गया]17. फैसले के पैरा 22 में किहोतो होलोहन (ऊपर) और रवि एस. नाइक (ऊपर) में इस अदालत के फैसले का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने कहाः

ई.

च

“22. ...यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अध्यक्ष का 6-9-2003 पर दिया गया निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती से मुक्त नहीं था।"18. इसके बाद अदालत ने कहाः

जी.

“25. ...अनुच्छेद 102 और 191 और दसवीं अनुसूची की योजना पर, विभाजन या विलय के प्रश्न के निर्धारण को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव से अलग नहीं किया जा सकता है।

एच.

150

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

संबंधित सदस्य या सदस्यों की अयोग्यता।इसलिए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, अध्यक्ष के पास यह निर्णय करने की स्वतंत्र शक्ति है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 और 4 द्वारा विचार किए

गए किसी राजनीतिक दल का विभाजन या विलय हुआ है।संसद या विधानसभा में एक अलग समूह को मान्यता देने की शक्ति सदन के कार्य नियमों के आधार पर अध्यक्ष के पास रह सकती है।लेकिन यह कहने से अलग है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनके लिए शक्ति उपलब्ध है, जो उनके द्वारा निर्धारित किए गए इस दावे से स्वतंत्र है कि किसी सदस्य या कई सदस्यों को दलबदल के कारण अयोग्य ठहराया गया था।उस हद तक, मामले में अध्यक्ष के निर्णय को संविधान की दसवीं अनुसूची के संदर्भ में एक आदेश नहीं माना जा सकता है।अध्यक्ष प्रश्न पर निर्णय लेने में विफल रहे हैं, उन्हें उस पर निर्णय स्थगित करके निर्णय लेने के लिए कहा गया था।इसलिए बी. एस. पी. के विद्वान वकील के इस तर्क में कुछ योग्यता है कि अध्यक्ष के आदेश को संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के संदर्भ में पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है और यदि ऐसा होता भी है, तो न्यायालय द्वारा किहोतो होलोहन [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651:ए. आई. आर 1993 एस. सी. 412:(1992) 1 एस. सी. आर. 686] विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है।"

ग

डी.

ई.

[जोर दिया गया]

च

19. न्यायालय ने यह भी जोड़ने में जल्दबाजी कीः

“29. इस मामले में अध्यक्ष ने बी. एस. पी. के 13 सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए उनके समक्ष एक याचिका दायर की थी। जब वह आवेदन उनके सामने लंबित था, तब बी. एस. पी. के कुछ सदस्यों ने उनके सामने दावा किया था कि बी. एस. पी. में विभाजन हो गया है। अध्यक्ष को, दसवीं अनुसूची की योजना और उस ओर से बनाए गए नियमों में, अयोग्यता के लिए आवेदन पर निर्णय लेना था और उसी पर निर्णय लेते समय, यह तय करना था कि क्या दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को देखते हुए, अयोग्यता के दावे में ए

जी.

एच.

151

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

अस्वीकार करने के लिए।हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यक्ष ने 37 विधायकों के इस दावे का जवाब देने के लिए खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया था कि पार्टी में विभाजन हो गया है, जबकि एक आवेदन के माध्यम से उनके सामने उठाए गए अयोग्यता के सवाल को खुला छोड़ दिया जो पहले से ही उनके सामने लंबित था।अयोग्यता की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने में अध्यक्ष की इस विफलता को केवल प्रक्रिया के दायरे में नहीं कहा जा सकता है।यह संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के संदर्भ में पढ़ी गई दसवीं अनुसूची द्वारा विचारित न्यायनिर्णयन की संवैधानिक योजना के खिलाफ जाता है।यह उस ओर से बनाए गए नियमों और उस प्रक्रिया के खिलाफ भी है जिसका पालन करने की उनसे अपेक्षा की गई थी।इसलिए 37 विधायकों की ओर से इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि उनके द्वारा दायर विभाजन को मान्यता देने की याचिका के साथ-साथ अयोग्यता की याचिका पर निर्णय लेने में अध्यक्ष की विफलता केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है।हमें यह पता लगाने में कोई संकोच नहीं है कि यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी अवैधता है, एक अवैधता जो अध्यक्ष द्वारा उनके सामने रखे गए विभाजन के प्रश्न पर तथाकथित निर्णय की जड़ तक जाती है।किहोतो होलोहन [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651 में निर्धारित न्यायिक समीक्षा के मापदंडों के भीतर भीःए. आई. आर 1993 एस. सी. 412:(1992) 1 एस. सी. आर. 686] और जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2006) 11 एस. सी. सी. 1:(2006) 13 स्केल 335] यह पाया जाना चाहिए कि विवादित अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए दरकिनार किया जा सकता है।"

ग

डी.

ई.

च

[जोर दिया गया]20. न्यायालय ने तब न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित होने की ओर इशारा किया जैसा कि किहोतो होलोहन (ऊपर) में निर्णय लिया गया हैः

“39. 37 विधायकों के पक्ष में, न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होने के कारण बार-बार इस तर्क पर जोर दिया गया कि उच्च न्यायालय का बहुमत उसके अधिकार क्षेत्र को पार कर गया था।दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के आदेश की न्यायिक समीक्षा के दायरे से निपटने के लिए, यह किहोतो होलोहन [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651:ए. आई. आर 1993 एस. सी. 412:(1992) 1 एससीआर 686]:(एस. सी. सी पी.706, पैरा 95-97)

जी.

एच.

“95. वर्तमान मामले में, पैरा 6 (1) के तहत विवादित अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति प्रमुख रूप से न्यायिक रंग की है।

96. पैरा 6 (2) की कल्पना वास्तव में इसे अनुच्छेद 122 या 212 के पहले खंड में रखती है, जैसा भी मामला हो।पैरा 6 (2) में 'संसद में कार्यवाही' या 'किसी राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही' शब्दों की अभिव्यक्ति क्रमशः अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) में होती है।यह केवल प्रक्रियाओं की अनियमितताओं से प्रतिरक्षा को आकर्षित करता है।

ग

97. इसके अलावा, 1986 के बाद भी जब दसवीं अनुसूची पेश की गई थी, संविधान ने अनुच्छेद 191 (1) और 102 (1) के तहत सदस्यों की अयोग्यता के बारे में विवादों के समाधान के संचालन में अनुच्छेद 122 या 212 को लागू करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था।बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान का तात्पर्य है कि अयोग्यता की कार्यवाही, वास्तव में, सदन के समक्ष नहीं है; लेकिन केवल एक विशेष रूप से नामित प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष के समक्ष है।पैरा 6 (1) के तहत निर्णय सदन का निर्णय नहीं है, न ही यह सदन द्वारा अनुमोदन के अधीन है।निर्णय सदन से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।एक डीमिंग प्रावधान अपनी रचना से अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकता है।इसलिए, अनुच्छेद 122 और 212 के तहत दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष या अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक जांच से कोई प्रतिरक्षा नहीं है।"

डी.

ई.

च

प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख करने के बाद, यह आयोजित किया गयाः(एस. सी. सी. पी. 707, पैरा 100)

“100. न्यायाधिकरण के गठन के इन सर्वविदित और स्वीकृत परीक्षणों द्वारा, अध्यक्ष या अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के तहत कार्य करते हुए एक न्यायाधिकरण है।"

जी.

यह निष्कर्ष निकाला गयाः(एस. सी. सी. पी. 710, पैरा 109) "109. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों और पैरा 6 के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आलोक में, अनुच्छेद 136 ए के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा।

एच.

153

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

और अनुच्छेद 6 के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा पारित आदेश के संबंध में संविधान की धारा 226 और 227 केवल अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों तक ही सीमित होगी जैसे कि संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करना और विकृति।"

इस स्थिति को संविधान पीठ ने राजा में दोहराया था।

राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा [(2007) 3 एससीसी 184:

जे. टी. (2007) 2 एस. सी. 1]हमारा विचार है कि हस्तक्षेप की रूपरेखा किहोतो होलोहन [1992 सप (2) एस. सी. सी. 651 द्वारा अच्छी तरह से तैयार की गई हैःए. आई. आर 1993 एस. सी. 412:(1992) 1 एस. सी. आर. 686] और यहाँ जो शामिल है वह केवल इसका अनुप्रयोग है।

ग

40. मामले पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष ने मूल क्रम में अयोग्यता के सवाल को अनिश्चित छोड़ दिया।इस प्रकार वह दसवीं अनुसूची के पैरा 6 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।अधिकारिता का प्रयोग करने में ऐसी विफलता को अनुसूची के पैरा 6 के कवच के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।उन्होंने उस ओर से केवल एक दावे के आधार पर विभाजन के मामले को स्वीकार करने के लिए भी आगे बढ़े हैं।उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि मूल राजनीतिक दल में विभाजन प्रथम दृष्टया साबित हुआ था या नहीं।उनकी यह कार्रवाई, स्पष्ट रूप से रवि एस. नाइक मामले में निर्णय के अनुपात की उनकी समझ पर आधारित है [1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 641:(1994) 1 एससीआर 754]।उन्होंने उसमें अनुपात को गलत समझा है।अब जब हमने जगजीत सिंह मामले [(2006) 11 एस. सी. सी. 1 में तर्क और दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी हैः(2006) 13 स्केल 335] और उसमें अनुपात स्पष्ट है, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष ने एक ऐसी त्रुटि की है जो मामले की जड़ तक जाती है या एक ऐसी त्रुटि जो इतनी मौलिक है कि सीमित न्यायिक समीक्षा के तहत भी अध्यक्ष के आदेश में हस्तक्षेप करना पड़ता है।इसलिए, हमें अध्यक्ष के फैसलों को रद्द करने में उच्च न्यायालय के बहुमत से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

41. ऊपर बताए गए हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में वर्णित तर्कों और रिट याचिका में संशोधन की कथित देरी पर कुछ भी नहीं होता है।

एच.

यह निर्विवाद है कि उस आदेश में जिसे मूल रूप से रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, अध्यक्ष ने विशेष रूप से 13 विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने से परहेज किया। ऊपर दिए गए हमारे तर्क पर, स्पष्ट रूप से, एक त्रुटि थी जिसने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित किया।"

[जोर दिया गया]21. यह देखते हुए कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और यदि 13 सदस्यों को अयोग्य पाया जाता है, तो एक दिन के लिए भी विधानसभा में उनका बने रहना अवैध और असंवैधानिक होगा, और मंत्री के रूप में उनका पद धारण करना भी अवैध होगा, न्यायालय ने कहा कि वह संविधान और उसके मूल्यों और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, और फिर यह घोषणा करते हुए चला गया कि रिट याचिका इस घोषणा के साथ स्वीकृत होगी कि जिन 13 सदस्यों ने राज्यपाल से 27.08.2003 पर मुलाकात की थी, वे यू. पी. विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं।22. राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) में दिए गए निर्णय को पढ़ने और विशेष रूप से पैराग्राफ 40 और 41 के रेखांकित भागों से यह स्पष्ट है कि एस. ए. संपत कुमार (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफलता को दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में निहित कवच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, और जब कोई अध्यक्ष उचित समय के भीतर किसी याचिका पर निर्णय लेने से बचता है, तो स्पष्ट रूप से एक त्रुटि थी जिसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की अधिकारिता को आकर्षित किया।

ग

डी.

ई.

च

23. वास्तव में, किहोतो होलोहन (उपरोक्त) के उचित पठन पर भी यही परिणाम सामने आएगा।उक्त निर्णय के पैराग्राफ 110 और 111 को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अंतिम खंड जिस विशेष अधिकार क्षेत्र की रक्षा करता है, वह अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष में निहित है ताकि ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने के रास्ते में कुछ भी न आए।जो अपवाद किया जाता है वह निर्णयों के साथ उस अंतर्वर्ती हस्तक्षेप में भी महत्वपूर्ण है ए

जी.

एच.

155

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

अध्यक्ष की केवल अंतर्वर्ती अयोग्यता या निलंबन हो सकते हैं, जिनके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने से पहले या तो समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से या अन्य अंतर्वर्ती आदेशों द्वारा न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है।24. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में एक क्विया टाइम-टाइम कार्रवाई का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

" क्विया टाइमट।क्योंकि वह डरता है या पकड़ लेता है।इक्विटी व्यवहार में, एक पक्ष द्वारा दायर एक विधेयक का तकनीकी नाम जो इक्विटी की अदालत की सहायता मांगता है, क्योंकि उसे अपने अधिकारों या हितों को भविष्य में कुछ संभावित नुकसान होने का डर है, और दी गई राहत परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए।"

ग

25. जहाँ तक क्वैटिमेट कार्रवाइयों का संबंध है, प्रमुख निर्णय फ्लेचर बनाम बेली (1884) 28 Ch का निर्णय है। डी. 688.इस मामले में, नदी में हानिकारक तरल को बहने से रोकने के लिए उपद्रव के अपराध को रोकने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई के लिए कहा गया था।पियर्सन, जे. पृष्ठ 698 पर क्विया टाइमटाइम एक्शन पर पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बादः

डी.

ई.

"इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत गलत होऊंगा यदि मैं यह निर्धारित करता हूं कि एक समयबद्ध कार्रवाई के लिए कम से कम दो आवश्यक तत्व हैं।यदि कोई वास्तविक क्षति साबित नहीं होती है, तो आसन्न खतरे का प्रमाण होना चाहिए, और इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए कि यदि अनुमानित क्षति आती है, तो वह बहुत बड़ी होगी।मुझे लगभग यह कहना चाहिए कि यह साबित किया जाना चाहिए कि यह अपूरणीय होगा, क्योंकि, यदि खतरा इतना आसन्न साबित नहीं होता है कि कोई भी संदेह नहीं कर सकता है कि यदि उपचार में देरी होती है, तो नुकसान होगा, मुझे लगता है कि यह इस तरह से और ऐसी परिस्थितियों में होगा कि वादी के लिए इससे खुद को बचाना असंभव होगा यदि उसे समयबद्ध कार्रवाई में राहत देने से इनकार कर दिया जाता है।"

च

जी.

26. कानून के इस कथन के बाद हाल के अंग्रेजी निर्णयों को लंदन बरो ऑफ इस्लिंगटन बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

एच.

मार्गरेट इलियट **[2012]** ईडब्ल्यूसीए सिविल। **56 (**पैराग्राफ **30** देखें**)** और वेस्टिंट लीड्स बीवी बनाम अज्ञात व्यक्ति **[2018]** ईडब्ल्यूएचसी **2456 (**सीएच**.)** जिसमें एक क्विया समय**-**सीमा निषेधाज्ञा का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया थाः

"26. जी निम्नलिखित शब्दों में एक क्वाटीमेट निषेधाज्ञा का वर्णन करता है [जी. ई., वाणिज्यिक अनुदेश, 6 वां संस्करण (2016) [2-035]]:

"एक क्विया टाइमलाइन (क्योंकि उसे डर है) निषेधाज्ञा एक निषेधाज्ञा है जो तब दी जाती है जब कोई कार्रवाई योग्य गलती नहीं की गई हो, किसी कार्रवाई योग्य गलती की घटना को रोकने के लिए, या किसी कार्रवाई योग्य गलती की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए।""

ग

फ्लेचर (ऊपर) में निर्णय को उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 30 में अनुमोदन में संदर्भित किया गया था।

27. फ्लेचर (ऊपर) में निर्णय को भी इसके द्वारा संदर्भित किया गया था।

दलीप सिंह बनाम सुभाष चंदर जैन (2000) 4 एस. सी. सी. 50 में न्यायालय

डी.

निम्नलिखित हैः“6. एक क्विया टाइम-टाइम कार्रवाई इक्विटी में एक बिल है।यह प्रकृति में एक निवारक कार्रवाई है और एहतियाती न्याय की एक प्रजाति है जिसका उद्देश्य गलत या प्रत्याशित शरारत को रोकना है और किसी गलत या शरारत को पूर्ववत नहीं करना है जब यह पहले ही किया जा चुका हो।ऐसी कार्रवाई में अदालत, यदि आश्वस्त हो जाती है, तो रिसीवर की नियुक्ति या सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देकर या निषेधाज्ञा या कोई अन्य उपचारात्मक प्रक्रिया जारी करके हस्तक्षेप कर सकती है।फ्लेचर बनाम बेली [(1885) 28 Ch D 688:54 एलजे सीएच 424:52 एल. टी. 541], श्री जस्टिस पियर्सन ने निम्नलिखित कार्यों के समय के बारे में कानून की व्याख्या कीः“क्विया टाइम-टाइम एक्शन के लिए कम से कम दो आवश्यक तत्व होते हैं।यदि कोई वास्तविक क्षति साबित नहीं होती है, तो आसन्न खतरे का प्रमाण होना चाहिए, और इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए कि यदि अनुमानित क्षति आती है, तो वह बहुत बड़ी होगी।मुझे लगभग यह कहना चाहिए कि यह साबित किया जाना चाहिए कि यह अपूरणीय होगा, क्योंकि, यदि खतरा इतना आसन्न साबित नहीं होता है कि कोई संदेह नहीं कर सकता है कि यदि उपचार में देरी होती है तो नुकसान होगा, मुझे लगता है कि यह दिखाया जाना चाहिए कि, यदि किसी भी समय नुकसान होता है, तो यह इस तरह से और ऐसी परिस्थितियों में आएगा कि यह असंभव होगा।

ई.

च

जी.

एच.

157

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

यदि राहत देने से इनकार किया जाता है तो वादी इसके खिलाफ खुद को बचाने के लिए

उसे एक समयबद्ध कार्रवाई में "।"

28. अतः, उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से पता चलता है कि किहोतो होलोहन (उपरोक्त) के अनुच्छेद 110 में न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होने का जो अर्थ था, वह अध्यक्ष को आसन्न संभावित खतरे के आधार पर निर्णय लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के अर्थ में समयबद्ध कार्रवाई है, जो इस अर्थ में अपूरणीय होगा कि यदि अध्यक्ष यह निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है कि व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा, तो उसे लंबे समय तक सदन की अपनी सदस्यता को जब्त करने का दंड भुगतना होगा। किहोतो होल्होहन (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 110 और 111, इसलिए, किसी भी तरह से, दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्यता के बारे में त्वरित निर्णय पर पहुंचने वाले अध्यक्ष की सहायता के लिए न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वास्तव में, अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।जो उचित है वह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, लेकिन असाधारण परिस्थितियों के अभाव में जिनके लिए उचित कारण है, याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि वह बाहरी सीमा है जिसके भीतर अध्यक्ष के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लिया जाना चाहिए यदि दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने के संवैधानिक उद्देश्य का पालन किया जाना है।यह अवधि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तय की गई है कि आम तौर पर राज्यों की लोकसभा और विधानसभा का जीवनकाल 5 वर्ष है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन व्यक्तियों ने ऐसी अयोग्यता झेली है, वे एक दिन के लिए भी सांसद/विधायक होने के योग्य नहीं हैं, जैसा कि राजेंद्र सिंह राणा (उपरोक्त) में पाया गया है, यदि उन्होंने दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

ग

डी.

ई.

च

29. 1985 में दसवीं अनुसूची के अधिनियमन के बाद के वर्षों में, अध्यक्षों द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में इस न्यायालय का अनुभव आम तौर पर हमें यह विश्वास दिलाता है कि किहोतो होलोहन (उपरोक्त) में अल्पसंख्यक निर्णय की आशंका वास्तव में घर आ गई है।जे. वर्मा ने अभिनिर्धारित किया थाः

जी.

"181. अध्यक्ष के सदन के भीतर एक प्राधिकरण होने और उनका कार्यकाल उसमें बहुमत की इच्छा पर निर्भर होने की संभावना है।

एच.

पक्षपात के संदेह से इंकार नहीं किया जा सकता है।किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णयात्मक स्वभाव होता है और इसलिए, विवादों के निर्णय के लिए योजना के अनुरूप निर्णय देने की आवश्यकता होती है।कानून का शासन इसमें मजबूती से स्थापित है, प्राकृतिक न्याय, जिसमें से, पूर्वाग्रह के खिलाफ शासन एक आवश्यक सहवर्ती है; और पूर्वाग्रह के खिलाफ शासन के बुनियादी अभिधारणाएँ हैंःनेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ-'एक न्यायाधीश को किसी भी मामले का निर्धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है जिसमें वह पक्षपाती हो सकता है, या उसके पक्षपाती होने का संदेह हो सकता है' और 'यह मौलिक महत्व का है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।' ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 103,192 और 329 के तहत सदस्यों की अयोग्यता के बारे में चुनाव विवादों और प्रश्नों पर निर्णय लेने के अधिकार के रूप में अध्यक्ष को नामित नहीं करने और सदन के बाहर एक स्वतंत्र प्राधिकरण का विकल्प चुनने में यह अंतर्निहित सिद्धांत अपनाया गया है।संविधान निर्माताओं ने इस तरह से अध्यक्ष के कार्यालय को इस विवाद से दूर रखा था।अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम अधिकार अनुच्छेद 124 (4) के तहत संसद में न्यायपालिका के बाहर है, तो इस योजना में कुछ भी असामान्य नहीं है।इसी सिद्धांत पर विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के बाहर है जैसा कि अनुच्छेद 103 और 192 द्वारा परिकल्पित है।

ग

डी.

ई.

182. दसवीं अनुसूची में, अध्यक्ष को न केवल इस तरह के विवाद का एकमात्र बल्कि अंतिम मध्यस्थ बनाया गया है, जिसमें अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र बाहरी प्राधिकरण में किसी भी अपील या संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। दसवीं अनुसूची में यह विचलन एक विपरीत प्रवृत्ति है और संविधान की एक मूल विशेषता का उल्लंघन करता है क्योंकि अध्यक्ष को संविधान के मूल अभिधारणाओं द्वारा इस कार्य को सौंपे जाने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, भले ही उस पद को निष्पक्षता के गुण के साथ बड़ी गरिमा से जोड़ा गया हो।"

च

जी.

एच.

159

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय वक्ता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेम्बली [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

क.

30. यह समय है कि संसद इस बात पर पुनर्विचार करे कि क्या अयोग्यता याचिकाओं को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए, जब ऐसा अध्यक्ष किसी विशेष राजनीतिक दल से या तो न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से संबंधित रहता है।संसद, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्थायी न्यायाधिकरण के साथ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से संबंधित विवादों के मध्यस्थ के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर सकती है, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे विवादों का निर्णय तेजी से और निष्पक्ष रूप से किया जाता है, इस प्रकार दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों को वास्तविक अधिकार देते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के उचित कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ग

31. श्री सिब्बल की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि यह न्यायालय भाजपा सरकार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति को रद्द करने के लिए यथास्थिति वारंट जारी करता है।श्रीमती माधवी दीवान का कहना सही है कि दसवीं अनुसूची के तहत विधायक और परिणामस्वरूप मंत्री होने की अयोग्यता का निर्णय पहले इस संबंध में विशेष प्राधिकारी, अर्थात् मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।श्री सिब्बल के इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि अध्यक्ष की निष्क्रियता को देखते हुए इन अपीलों में अयोग्यता याचिका पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए।यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले के तथ्य राजिंदर सिंह राणा (उपरोक्त) के तथ्यों के समान हैं।वर्तमान मामले में, विधान सभा का जीवन केवल मार्च, 2022 में समाप्त होता है, जबकि राजिंदर सिंह राणा (उपरोक्त) में, लेकिन इस न्यायालय द्वारा अयोग्यता याचिका पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए, याचिकाकर्ता को उस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि विधान सभा का जीवन समाप्त होने वाला था।इन अपीलों में जो एकमात्र राहत दी जा सकती है, वह यह है कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह अपने समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उस तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें, जिस दिन उन्हें यह निर्णय सूचित किया गया है।यदि चार सप्ताह की अवधि के बाद भी कोई निर्णय नहीं आता है, तो कार्यवाही के किसी भी पक्ष के लिए इस मामले में आगे के निर्देशों/राहत के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति होगी।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

32. उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.07.2019 के विवादित फैसले को खारिज कर दिया गया है।2019 की एसएलपी (सी) संख्या 18659 और 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 18763 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलों को आंशिक रूप से

अनुमति दी गई है और 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 23703 और 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 24146 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलों को इस निर्णय के संदर्भ में खारिज कर दिया गया है।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.